FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम

अशोक कुमार बनाम दामण्डा राम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111, 128 RLR नं. 231/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/08/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री हरिराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/09/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO)	
29/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील अप्राप्त/ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 10/11/2020 को पेश हो।	
10/11/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी संख्या-1 से 34 व [illegible] तामील शुदा प्राप्त तथा विप्रार्थी संख्या-35 के नोटिस पर फौत होना लिखा गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:47 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो के व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 22/12/2020 को पेश हो।

22/12/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 19/01/2021 को पेश हो।

19/01/2021 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 19/05/21 को पेश हो।

19/05/21 पत्रावली पेश हुई वकुलाय परिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है अत: पत्रावली इल्तवा होकर दिनांक 15/09/2021 को पेश हो।

15/09/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या-35 की फौतगी सूचना व कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना-पत्र मय संशोधित विवरण पेश किया गया। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या-35 के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिया ~~जाकर~~ गया व संशोधित विवरण रेकर्ड पर लिया गया। विपक्षी संख्या-1 से 34 व 36 से 45 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई [illegible] 34 व 36 से 45 स्वयं या उनकी ओर से कोई [illegible] लिहाजा विपक्षी संख्या-1 से 34 व 36 से 45 [illegible] कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील द्वारा विपक्षी संख्या-35 के कायम मुकाम के नोटिस मय रजिस्ट्री खर्चा पेश किया गया जो जारी होकर पत्रावली दिनांक 14/10/2021 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/2021	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-35 के कायम मुकाम के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवर्ड रसीदें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 10/11/2021 को पेश हो।	
10/11/2021	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सिरोडिया में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-35 के कायम मुकाम बावजूद सूचना गैरउपस्थित जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत मेढ मेढ आये हुए हैं। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेढ व डोल आये हुए थे जो वर्तमान में बारिशों की वजह से बिखर गये हैं जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत के मेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के मेढो को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के मेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबन्दी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बामडु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू॰अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता [illegible] आप स्वयं या सहायक कमिश्नर [illegible] की पक्की नेपमबन्दी मौके पर [illegible] रिपोर्ट जमा करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने [illegible] पत्रावली अमल दरामद होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1298 दिनांकः– 22/11/2021

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. अशोक कुमार पुत्र देदाराम वगैरा 4
जाति जाट, निवासी जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. घमण्डाराम पुत्र मोबताराम वगैरा 45
जाति जाट , नि. जान्दुओं की ढाणी
पटवार मण्डल बायतु पनजी
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 231 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – जान्दुओं की ढाणी, पटवार मण्डल – बायतु पनजी, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 341 / 206 रकबा क्रमशः 5.4203 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1299 - 1303 दिनांकः– 22/11/2021

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार बायतु
2 पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्री अशोक कुमार पुत्र देदाराम वगैरा 4
4 विप्रार्थी श्री घमण्डाराम पुत्र मोबताराम वगैरा 45
5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:08:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु